कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक– 2546 दिनांक– 03/06/25

संशोधित कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार गृह (ग्रप–2) विभाग के पत्र क्रमांक एफ 27 (क)(39) ग्रह–2/2024 जयपुर पार्ट 1 दिनांक 13.02.2024 एवं श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (पुर्नगठन) राजस्थान जयपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 1506 दिनांक 19.02.2025 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या 10 की क्रियान्विती के क्रम में स्वीकृति संख्या 17/2024–25 के द्वारा नवीन महिला पुलिस थाना खैरथल सृजित किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। नव सृजित महिला पुलिस थाना खैरथल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, खैरथल एवं वृत्त कार्यलय किशनगढबास के अधीन रहेगा। उक्त नव सृजित थाने का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। जिला पुलिस अधीक्षक खैरथल–तिजारा के आदेश क्रमांक संख्या–4 खैर–फोर्स/ 2025/ 260–65 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा उक्त थाने के लिए न्यायालय का आंबटन करवाने बाबत पत्र पेश किया गया है, जिसके अनुसार नव–सृजित महिला पुलिस थाना खैरथल के क्षैत्राधिकार मुख्यालय खैरथल एवं स्थानीय क्षेत्र सम्पूर्ण जिला खैरथल रहेगा।

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र क्रमांक स्था./2025/20949 दिनांक 02.06.2025 की अनुपालना में, मैं **अर्चना गुप्ता**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) व 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक **2553–63** दिनांक **16.05.2025** को आंशिक संशोधन करते हुए नव सृजित महिला पुलिस थाना खैरथल में उद्भूत होने वाले महिलाओ के विरूद्व अत्याचार से सम्बन्धित प्रकरणों का क्षैत्राधिकार निम्नानुसार आंवटित करती हूॅ–

C/R

01. तहसील **किशनगढबास** एवं तहसील **खैरथल** के क्षेत्राधिकार में आने वाले महिलाओ के विरूद्व अत्याचार से सम्बन्धित **महिला थाना खैरथल** में दर्ज प्रकरणो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2, किशनगढबास, अलवर को रहेगा।

02. तहसील **मुण्डावर** एवं तहसील **ततारपुर** के क्षेत्राधिकार में आने वाले महिलाओ के विरूद्व अत्याचार से सम्बन्धित **महिला थाना खैरथल** में दर्ज प्रकरणो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर को रहेगा।

03. तहसील **कोटकासिम** के क्षेत्राधिकार में आने वाले महिलाओ के विरूद्व अत्याचार से सम्बन्धित **महिला थाना खैरथल** में दर्ज प्रकरणो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम को रहेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(अर्चना गुप्ता)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

क्रमांक–2547-56 दिनांक– 03/06/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषिति है–

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर

02.श्रीमान् जिला कलक्टर, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड

03.श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल तिजारा/कोटपुतली बहरोड

04. सम्बन्धित न्यायालय.....

05. सम्बन्धित बार एसोसियेशन.....

06. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोट कर समस्त न्यायालय अलवर न्यायक्षेत्र को ई मेल करे)

अर्चना गुप्ता

(अर्चना गुप्ता)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)